विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-25 का उत्तर:-

प्रश्न	उत्तर
25(क) क्या दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर में दिव्यांगजनों का ससमय चिन्हित व पंजीकरण न होने से सहयोगी उपकरण प्राप्त होने में असुविधा होती है?	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन के हितार्थ कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत जनपदों द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुये एवं चिन्हांकन शिविरों का आयोजन करते हुये पात्र दिव्यांगजन को पंजीकृत किया जाता है, यह एक सतत् प्रक्रिया है। जनपद-सीतापुर में कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत चिन्हांकन शिविर दिनांक 18 जुलाई, 2024 से 09 अगस्त, 2024 तक समस्त विकास खण्डों में आयोजित किये गये। जनपदों द्वारा दिव्यांगजन को पात्रता के आधार पर कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित कर लाभान्वित किया जाता है।
(ख) यदि हॉ, तो क्या कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को सहयोगी उपकरण प्राप्त करायेंगे?	उपर्युक्तानुसार।
(ग) यदि हॉ, तो कब तक?	उपर्युक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्र कश्यप
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।